~~उपस्थित/ रिस्पोन्डेन्ट/ प्रार्थी/ अप्रार्थी/ उभयपक्ष~~ उपस्थित है/ ~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/ अवकाश पर हैं~~/ अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/ ~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14-1-2020 को पेश हो।

रीडर

14-1-2020 वकील उभयपक्ष उप०। प्रा०पत्र O 22 R 3 C.P.C. पर पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय दर० पत्रावली दि० 3-2-2020 को पेश हो।

3-2-2020 वकील उभयपक्ष उप०। प्रा०पत्र O 22 R 3 C.P.C. रू० 500/- हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। संशोधित टाइटल हेतु पत्रावली दि० 24-2-2020 को पेश हो।

24-2-2020 वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते अदायगी हर्जा व संशोधित टाइटल पत्रावली दि० 4-3-2020 को पेश हो।

4-3-2020 पत्रा. पेश हुई। वकील वादीगण और स्वयं वादीगण हाजिर अदालत नहीं है। वकील प्रतिवादीगण उप० है। पत्रावली में कई बार आवाज लगवाने के उपरांत भी स्वयं वादीगण और उनके वकील हाजिर अदालत नहीं है। अतः पत्रावली दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो संबंधित रिकॉर्ड दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
42/2009	8.6.2009	3-2-2020
रामभरोसी	बनाम	ओमप्रकाश वगैरा

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0

उपस्थित :—श्री जुगलकिशोर गर्ग, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री भागचंद पल्लीवाल, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वाद में वादी मृतक रामभरोसी के वारिसो की ओर से दिनांक 29.4.13 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त प्रकरण मे वादी रामभरोसी का दिनांक 2.8.12 को स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थीगण को इस मुकदमे के बारे मे कोई जानकारी नही थी। प्रार्थी पवन कुमार किसी दीगर कार्य के सम्बन्ध मे दिनांक 28.4.13 को वकील साहब से मिला तो वकील साहब ने इस मुकदमे के बारे मे बताया तब प्रार्थी ने वकील साहब को बताया कि वादी रामभरोसी का स्वर्गवास हो गया है। प्रस्तुत वाद मे विभाजन के बाद अंतिम रूप से अधिकार तय होने है। मृतक रामभरोसी के चार पुत्र मदनमोहन, नरेन्द्रकुमार, पवन कुमार, गोविन्दमोहन एवं पुत्री शारदा है। इनके अलावा अन्य कोई वारिस नही है। मदनमोहन, नरेन्द्र कुमार एवं शारदादेवी ने विवादित भूमि से अपने हिस्से का पवन कुमार एवं गोविन्दमोहन के हक मे हक त्याग कर दिया है। इस प्रकार अब विवादित भूमि मे मृतक रामभरोसी के स्थान पर पुत्र पवनकुमार एवं गोविन्दमोहन ही वारिस है। प्रकरण मे कायम मुकाम बनाने की कार्यवाही मे जानबूझकर देरी नही की गई है बल्कि मुकदमे की जानकारी न होने के कारण एवं दिनांक 28.4.13 को जानकारी होने पर यह प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि पर्सज आफ टाईम से अवेटमेन्ट सेटअसाईड फंरमाया जाकर रामभरोसी के स्थान पर प्रार्थीगण को को कायम मुकाम बनाया जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रार्थना पत्र का प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 13.3.2015 को जबाब प्रस्तुत किया गया। अपने जबाब में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि प्रार्थीगण का यह कथन स्वीकार है कि उन्हे इस मुकदमे के बारे मे जानकारी नही हो बल्कि वादी रामभरोसी काफी वृद्ध व बीमार था तथा मुकदमे मे पैरवी उसके पुत्र ही करते चले आ रहे है। ऐसी दशा मे मात्र प्रार्थना पत्र को मियाद

उप जिला कलेक्टर

गलत कथन प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया है। दावा स्वतः ही अवेट हो चुका है। वादी रामभरोसी के चार पुत्र एवं एक पुत्री है परन्तु मदनमोहन, नरेन्द्रकुमार व शारदादेवी ने वादग्रस्त भूमि मे से अपने हिस्से का हकत्याग किया या नही, यह तथ्य जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने हक त्याग करने की कोई दिनांक अंकित नही की है एवं कोई हकत्याग का विलेख भी प्रस्तुत नही किया है। जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि वादी रामभरोसी की मृत्यु दिनांक 2.8.12 को होना प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है। इस दिनांक से 90 दिन के अंदर यानि दिनांक 31.10.12 तक प्रार्थीगण को कायममुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो उन्होने प्रस्तुत नही किया है। इस कारण दावा स्वतः ही अवेट हो गया। इस अवेटमेन्ट को निरस्त कराने के लिए 60 दिन के अंदर यानि 31.12.12 तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु नही किया गया है। अब दावा अवेट होने के करीब 21 माह बाद करीब 480 दिन बाद प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो स्पष्टतः मियाद बाहर है। देरी से प्रार्थना पत्र क्यो प्रस्तुत किया? इसका भी कोई न्यायोचित कारण प्रार्थीगण ने नही बताया है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं चूकि दावा स्वतः ही अवेट हो चुका है। इस कारण दावा भी खारिज फरमाया जावें।

इसी अनुसार प्रतिवादीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त प्रार्थन पत्र पर उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण को सुना गया।

वादी के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रस्तुत दावा विंभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है। दावा प्रार्थीगण के पिता रामभरोसी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उनकी मृत्यु 2.8.2012 को चुकी है परन्तु इस दावे की जानकारी प्रार्थीगण को नही थी। इसलिए समयावधि मे कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जा सका। जैसे ही प्रार्थीगण को मुकदमे की जानकारी हुई। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। जो स्वीकार फरमाया जावे। वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण का हित निहित है। प्रार्थीगण के पक्ष मे मृत वादी रामभरोसी के पुत्र मदनमोहन, नरेन्द्र कुमार एवं पुत्री शारदादेवी ने भूमि का हक त्याग कर दिया है। इसलिए अब प्रार्थी पवनकुमार व गोविन्दमोहन ही वादग्रस्त भूमि के हकदार है। इसलिए इन दोनो को दावे मे बतौर वादी पक्षकार बनाया जावे। अपने कथन के समर्थन मे वकील वादी ने न्याय दृष्टान्त आर.बी.जे 2011 पेज 225, आर.बी.जे. (18) 2011 पेज 702 प्रस्तुत किये है।

प्रतिवादीगण के विद्धान वकील ने अपनी बहस में कहा कि वादी रामभरोसी वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति था तथा मुकदमे मे पैरवी उसके पुत्रो द्वारा ही

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

की जा रही थी। इसलिए इनका यह कहना सही नहीं है कि इन्हे मुकदमे की जानकारी नही थी। मृत्यु के दिनांक से 90 दिन मे कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना चाहिए था जो नही हुआ है। इसलिए दावा अवेट हो चुका है। अवेटमेन्ट सेटअसाईड हेतु 60 दिन मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना चाहिए था जो नही हुआ है। वगैर किसी उचित कारण के प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे व अवेट हो जाने के कारण दावा भी खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र व न्याय दृष्टान्तो का अवलोकन किया गया। वादी की दिनांक 2.8.12 को मृत्यु होने का तथ्य प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है एवं दिनांक 29.4.13 को हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निर्धारित अवधि 90 दिवस के बाद 180 दिवस देरी से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने का कारण प्रार्थीगण ने उन्हें मुकदमे की जानकारी नहीं होना अंकित किया है जिसका प्रतिवादीगण ने विरोध किया है परन्तु अपने विरोध को वे किसी दस्तावेज से सिद्ध नहीं कर पाए हैं इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के कथन पर ही विश्वास किया जाना उचित है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मृतक रामभरोसी के पुत्र मदनमोहन, नरेन्द्र कुमार व पुत्री शारदा ने प्रार्थी पवन कुमार व गोविन्द मोहन के पक्ष में हकत्याग कर दिया है परन्तु उन्होने हकत्याग विलेख की प्रति प्रस्तुत नहीं की है इसलिए प्रार्थीगण के कथन को नहीं माना जा सकता है ऐसी स्थिति में मृतक वादी रामभरोसी के वारिस उनके 4 पुत्र मदनमोहन, नरेन्द्र कुमार, पवन कुमार, गोविन्द मोहन व पुत्री शारदा को मृतक वादी रामभरोसी के स्थान पर मुकदमे में बतौर वादी पक्षकार बनाया जाना उचित है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी अनुसार स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 29.4.2013 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर मृतक वादी रामभरोसी के पुत्र मदनमोहन, नरेन्द्र कुमार, पवन कुमार, गोविन्द मोहन व पुत्री शारदा को मुकदमे में बतौर कायम मुकाम वादीगण के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थना पत्र देरीना प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थीगण पर रू0 500/– हर्जा कायम किया जाता है। उपरोक्तानुसार वादीगण संशोधित टाइटल प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 3-2-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.03.16 12:21:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: